

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

दावा 10/2020

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

सुमन कँवर बनाम छोटी देवी व अन्य

पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को शाम 05:30 बजे तक बार-बार आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली आदेश दिनांक 27.07.2017 व 17.03.2020 की पालनार्थ वास्ते तलवी प्रतिवादीगण नियत है। निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी आदेश की पालनार्थ नोटिस तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं इसके उपरान्त भी नियत तारीख पेशी पर निरन्तर अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार आदेश की पालनार्थ रजि० नोटिस/तलवी प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

